# BA (Hons.) PART –II, Paper- III

**डॉ0 गौतम कुमार**

**अतिथि शिक्षक**

**राजनीति विज्ञान विभाग**

**आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर**

## राष्ट्रपति (President)

**राष्ट्रपति (President)** – राष्ट्रपति, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। संघ की कार्यपालिका अथवा केन्द्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मन्त्रिपरिषद् तथा महान्यायवादी(Attorney General) सम्मिलित हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है।

**राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएँ** – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अन्तर्गत राष्ट्रपति पद की पात्रता हेतु निम्नलिखित योग्यताएँ/अर्हताएँ होना आवश्यक है :–

1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. उसकी उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
3. वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अर्थात् उसका नाम किसी संसदीय निर्वाचन मंडल की मतदाता सूची में होना चाहिए।
4. वह भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार के अन्तर्गत किसी भी लाभ के पद पर आसीन न हो।

**राष्ट्रपति का निर्वाचन (Election of President)** – भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्वति (Single Transferable vote system) के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान के द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल

के द्वारा होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत निर्वाचक मण्डल में निम्नलिखित सदस्य शामिल होगें –

1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य (राज्य सभा एवं लोक सभा के निर्वाचित सदस्य)
2. राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
3. दिल्ली व पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य(संविधान के 70वें संशोधन,1992) के द्वारा इन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचन मण्डल में शामिल किया गया है।

राष्ट्रपति चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा(Quota) प्राप्त करना आवश्यक है। न्यूनतम कोटा की गणना निम्न प्रकार से किया जायेगा।

न्यूनतम कोटा(Quota) = $\frac{Total\ No.of\ valid\ vote}{2}$ +1

- 2 Means – निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या.+1

न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर ही एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सके।

- **एक विधायक के मत मूल्य की गणना –**

$$\frac{\boldsymbol{Total\ population\ of\ state}}{\boldsymbol{Total\ Elected\ MLA\ of\ state}} \times \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1000}}$$

- एक सांसद का मत मूल्य –

$$\frac{\boldsymbol{Total\ No.of\ votes\ of\ all\ the\ Elected\ MLAs\ of\ the\ State\ Assemblies.}}{\boldsymbol{Elected\ Members\ of\ both\ houses\ of\ Parliament(RS+LS)}}$$

**Total No. of Vote –** Vote value of MP + Vote value of MLA

- <u>Main Points –</u>

1. मनोनीत सांसद राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं।
2. राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्षो के लिए होता है।
3. राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि Rs.-15000 निर्धारित है।
4. वर्त्तमान में भारतीय संविधान के 84वें संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि वर्ष 2026 तक, वर्ष 1971 के जनगणना के आधार पर ही राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया सुनिश्चित किया गया है।
5. राष्ट्रपति पद के निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है।
6. लोक सभा के महासचिव को राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
7. राष्ट्रपति का चुनाव दिल्ली एवं समस्त राज्यों की राजधानी में होता है। MP दिल्ली अथवा अपने राज्य की राजधानी में तथा MLA सिर्फ अपने राज्य की राजधानी में की मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।
8. मतगणना के प्रथम दौर में राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होने की स्थिति में Transferable Vote system का प्रयोग किया जाता है।
9. अभी तक वर्ष 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में ही द्वितीय वरीयता मतों की गिनती के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है।
10. 5 जून, 1997 को राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक का अनुमोदन आवश्यक है वही उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक का अनुमोदन आवश्यक है।
11. किसी राज्य का विधानसभा भंग होने की स्थिति में भी राष्ट्रपति का निर्वाचन हो सकता है। इस संबंध में राष्ट्रपति ने 29 अप्रैल 1974 को अनुच्छेद 143 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त परामर्श के अनुसार, "राष्ट्रपति का चुनाव वर्त्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व होना चाहिए और एक या एक से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग होने की स्थिति में भी ये चुनाव हो सकते हैं।"